

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

682  
2-11/7/15

विषय:-

कार्य विभागों में 2.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में लागू Standard Bidding Document के Clause 10 CA एवं 10CC तथा F-2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में विभिन्न प्रकार के पाईपों एवं इसके Specials आदि पर Price Neutralization को लागू करने हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प में संशोधन।

विभाग में 2.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में लागू Standard Bidding Document के Clause 10 CA एवं 10CC में प्रावधानित सामग्रियों तथा F-2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में विभिन्न प्रकार के पाईपों एवं इसके Specials आदि पर Price adjustment/Neutralization की गणना हेतु क्रमशः विभागीय ज्ञापांक-7/ज01-108/08- 559, दि0:-20.06.08 एवं ज्ञापांक-7/ज01-108/08-558, दि0:-20.06.08 द्वारा संकल्प निर्गत किये गये हैं।

सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. C.I. Pipes and specials तथा D.I. Pipes and specials हेतु Price adjustment /Neutralization के लिए अंकित Formula में S0 एवं S1 निम्न प्रकार परिभाषित होगा :-  
S1 = Monthly Whole Sale Price Index of Pig iron for the month under consideration as published by Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.  
S0 = Monthly Whole Sale Price Index of Pig iron on 25 days preceding the date of opening of Bids as published by Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.
2. विभागीय ज्ञापांक-7/ज01-108/08-559, दिनांक:-20.06.08 एवं ज्ञापांक-7/ज01-108/08-558, दिनांक:-20.06.08 द्वारा निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संकल्प की अन्य सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे।
3. उक्त संशोधन प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
4. उक्त संशोधन प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-

आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/20  
प्रधान सचिव

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग